

सत्ता (माधिकार) के तत्व एवं विशेषताएँ (Main Elements and Features of Authority)

सत्ता के तत्व तथा विशेषताएँ निम्नांकित हैं—

1. सत्ता सर्वत्र औपचारिक शक्ति नहीं है (Authority is not always a formal power) — कुछ विद्वानों का यह मत है कि सत्ता सर्वत्र औपचारिक होती है, जबतक कि सत्ता में औपचारिक शक्ति के गुणों का अभाव भी हो सकता है। एच. जे. फ्रेडरिक का कथन है कि “सत्ता शक्ति की एक ऐसा गुण होता है नहीं है वरून एक ऐसा तत्व है जो शक्ति के साथ होता है। सत्ता व्याक्तियों एवं वस्तुओं में एक ऐसा गुण होता है जो उनकी शक्ति में वृद्धि करता है। यह ऐसा गुण है जो शक्ति उत्पन्न करता है किन्तु यह स्वयं शक्ति नहीं है।”

इसका आशय यह है कि किसी व्यक्ति की सत्ता की बिना शक्ति के स्वीकार किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की सत्ता व्याक्त बहुत लम्बे समय तक एक विषय को बिना रोक-टोक हो जाए तो वह शक्ति रहित होने के बाद भी अपने दान के क्षेत्र में एक सत्ता होगी। अतः शक्ति बिना सत्ता के भी हो सकती है और सत्ता बिना शक्ति के भी सम्भव है।

2. सत्ता विवेक पर आधारित होती है (Authority is based on reason) — फ्रेडरिक तथा डहल के मतानुसार सत्ता का मूल तत्व विवेक है। फ्रेडरिक के शब्दों में, “जिस व्यक्ति के पास सत्ता होती है उसे विचार में, उसके पास विवेकपूर्ण व्याख्या करने की योग्यता भी होती है।” दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि हम होल्टर के आधार पर ही किसी को सत्ता मान सकते हैं अन्यथा नहीं।

3. वैधानिक सत्ता की क्षमता को निश्चित करती है (Legitimacy determines the effectiveness of Authority) — वास्तव में वैधानिक सत्ता ही सत्ता का साधन है। विवेकपूर्ण आदेशों को ही वैधानिक माना जाता है। डहल के अनुसार, “B को मैं आदेश देता हूँ और B यह

अनुग्रह करता है कि A को ऐसा करने का पूर्ण अधिकार है तो B द्वारा आदेश का पालन करना उसका उत्तरदायित्व है। इस प्रकार की शक्ति न्यायोचित है किन्तु अब B यह अनुग्रह करता है कि मैं को अपने आदेश का पालन करने के लिए B को कुछ का कोई अधिकार नहीं है एवं A के आदेश का पालन करने हेतु B को कोई उत्तरदायित्व नहीं है वरन् B का उत्तरदायित्व इस आदेश को कियुक्त करना है जो A को ऐसी शक्ति की अवस्था में अनुचित शक्ति कहा जाता है, वध शक्ति की ही भाँति:

स्ती का नाम दिया जाता है।

4. उत्तरदायित्व (Responsibility) - स्ती का मयोग उत्तरदायित्व के आधार पर किया जाता है। मन्त्रालयों के व्यवस्थाओं में स्तीधारक को अपने कार्य तथा नीतियों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है तथा विधानमंडल जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। स्ती यह किसी भी प्रकार की कृत्यां न हो उत्तरदायी से सम्बन्ध होती है।

5. मन्त्रालय (Ministry) - इसका अर्थ यह है कि स्तीधारक व्यक्ति व्यवस्था में हो रहे कार्य, निर्णय तथा निवेश (Inputs and Outputs) तथा संरचनाओं पर मन्त्रालय रहता है। दूसरे शब्दों में मन्त्रालय व्यवस्था, कार्य तथा संरचनाओं और उनकी क्रियाओं के माध्यम से संचालन तथा नियंत्रण स्ती द्वारा किया जाता है।

समाप्त